



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

Email.-exam@durguniversity.ac.in Website :- www.durguniversity.ac.in Phone No. 0788-2359100

क्र. ३१/सेमे./रा.शि.नी./परीक्षा/2024

दुर्ग, दिनांक 28/11/2024

// अधिसूचना //

सत्र 2024-25 में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.एससी. गृहविज्ञान/बीबीए/बी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर (राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत) में नियमित/प्राइवेट के रूप में अध्ययनरत छात्रों के लिए ऑनलाईन पद्धति से विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.durguniversity.ac.in द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

विवरण	आनलाईन आवेदन करने की निर्धारित तिथि
बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.एससी. गृहविज्ञान/बीबीए/बी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर के नियमित/प्राइवेट विद्यार्थियों हेतु परीक्षा आवेदन करने की तिथि (विलंब शुल्क रु. 100/- सहित)	30.11.2024 से 15.12.2024 तक
विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में जमा करने की तिथि	16.12.2024 से 18.12.2024 तक
संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र द्वारा जमा किए गये आवेदन विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि	19.12.2024 तक
	20.12.2024 तक

विद्यार्थियों हेतु निर्देश:-

1. परीक्षा आवेदन फार्म भरने के लिए अधिकृत वेबसाइट www.durguniversity.ac.in होगी।
2. नियमित विद्यार्थी नामांकन आवेदन करने के समय उपयोग की गई यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड तथा प्राइवेट विद्यार्थी पंजीयन/रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के समय उपयोग की गई यूजर आई.डी. का उपयोग कर परीक्षा आवेदन फार्म भर सकेंगे।
3. परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
4. परीक्षा आवेदन जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
5. परीक्षा आवेदन करने में यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़े तो विद्यार्थी विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन **Help Desk for Payment related queries - 8871580649** **Technical Help Desk - 08062526431 : 0 is Mandatory to make a Call** **Email Help Desk : onlinehelp@durguniversity.in** पर सम्पर्क कर सकेंगे।
6. किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में विश्वविद्यालय की एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है (केवल डी.सी.ए. वन ईयर पार्ट टाइम पाठ्यक्रम को छोड़कर)।
7. परीक्षार्थियों को अग्रेषण शुल्क के रूप में राशि रु. 30/- (तीस रुपये) अतिरिक्त का भुगतान परीक्षा आवेदन फार्म जमा करते समय संबंधित महाविद्यालय/केन्द्र पर करना होगा। जिसकी पावती संबंधित महाविद्यालय/केन्द्र विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे।

8. महाविद्यालय उपरोक्त अग्रेषण शुल्क के अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार का शुल्क विद्यार्थियों से लेते हैं तो उसकी रसीद संबंधित विद्यार्थियों को प्रदान करना अनिवार्य है।
9. विद्यार्थी बिना रसीद के किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि महाविद्यालय में जमा नहीं करेंगे।

// परीक्षा शुल्क विवरण //

क्र०	कक्षा/परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क (नियमित)	परीक्षा शुल्क (प्राइवेट)
01	बी.ए./बी.कॉम.	1100 /—	1610 /—
02	बी.एससी./बी.एससी. गृह विज्ञान	1130 /—	1610 /—
03	बी.सी.ए.	1810 /—	—
04	बी.बी.ए.	1330 /—	—

उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य शुल्क निम्नानुसार देय होगा:—

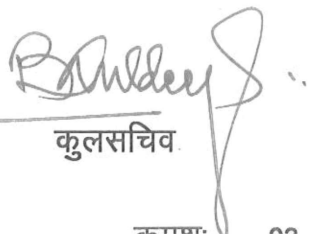
1. अप्रवासन शुल्क (छ.ग. के बाहर के बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों के लिए) — रु. 360
2. विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन शुल्क — रु. 180 (केवल महिलाओं के लिए)
3. संकाय परिवर्तन शुल्क — रु. 120
4. विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन शुल्क — रु. 120

अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए आवश्यक टीप:—

1. महाविद्यालय द्वारा अग्रेषण शुल्क के रूप में ली गई राशि रु. 30 (तीस रुपये) में से 15 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से संबंधित परीक्षा केन्द्र में जमा करेंगे।
2. महाविद्यालयों/केन्द्रों के प्राचार्य संबंधित अध्यादेश क्र. 205 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के प्रावधानों के तहत छात्रों के परीक्षा आवेदन को परीक्षण उपरांत अग्रेषित करेंगे।
3. महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जिन कक्षा/विषयों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं है, उनके परीक्षा आवेदन अग्रेषित न किए जाये।
4. प्राचार्य विश्वविद्यालय के अध्यादेश में छात्रों के लिए उल्लेखित न्यूनतम उपस्थिति की सत्यापन करने के पश्चात ही छात्रों के परीक्षा फार्म को ऑनलाईन अग्रेषित करेंगे।

टीप:—किसी अपात्र विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन परीक्षा आवेदन फार्म भरा जाता है तो उसका परीक्षा फार्म/परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र एवं अग्रेषणकर्ता अधिकारी की होगी।

आदेशानुसार


 कुलसचिव

क्रमशः03

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. कलेक्टर-दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/कबीरधाम/राजनांदगांव/मोहला-मानपुर-चौकी/खैरागढ़-छुईखदन-गंडई।
5. पुलिस अधीक्षक- दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/कबीरधाम/राजनांदगांव/मोहला-मानपुर-चौकी/खैरागढ़-छुईखदन-गंडई।
6. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. वित्त अधिकारी/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/उ.कु.स./स.कु. परीक्षा/गोपनीय/अकादमिक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
9. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र जिला- दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/कबीरधाम/राजनांदगांव/मोहला-मानपुर-चौकी/खैरागढ़-छुईखदन-गंडई।


उपकुलसचिव

